कार्यालय, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पेंशन) द्रौपदीघाट, इलाहाबाद–211014

परिपत्र संख्या 620 दिनांक 18.03.2019

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी

अभिलेख / वेतन लेखा कार्यालय(अ.श्रे.)

....

विषयः दिनांक 01.01.1996 से पूर्व पुनर्विवाह करने वाली विधवाओं को उदारीकृत परिवार पेंशन की संस्वीकृतिः संबंधी निदेश।

संदर्भः रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के दिनांक 24.06.2005 का पत्रांक 1(1)/2001/डी(पेन–सी)

अक्सर यह देखा गया है कि दिनांक 01.01.1996 से पूर्व मृत सशस्त्र बलों के मृत कर्मचारियों की विधवाओं द्वारा प्राप्त किया जा रहा उदारीकृत परिवार पेंशन जिसे मृतक के सहोदर भाई को छोडकर किसी अन्य पुरूष से पूनर्विवाह करने के कारण रोक दिया गया था/ साधरण परिवार पेंशन में परिवर्तित कर दिया गया था, के गैर भुगतान से संबंधित शिकायते प्राप्त हो रही है। रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 24.02.1972 के पत्रांक 200847/पेन–सी/71 के परिप्रेक्ष्य में विधवा को स्वीकृत उदारीकृत परिवार पेंशन मृतक के सहोदर भाई को छोडकर किसी अन्य पुरूष से शादी करने की वजह से रोक दिया गया था एवं एवं आगे चलकर उसके पुनर्विवाह के पश्चात् साधरण परिवार पेंशन परिवार में परिवर्तित कर दिया गया था।

2. रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 24.06.2005 का पत्रांक 1(1)/2001/डी(पेन–सी) के अनुसार 01.01.1996 से पहले विवाह करने वाली ऐसी विधवाओं का परिवार पेंशन एवं पूनर्विवाह की वजह रोका गया एवं आगे चलकर साधरण परिवार पेंशन में परिवर्तित उदारीकृति परिवार पेंशन अब पुनः रक्षा मंत्रालय, के दिनांक दिनांक 31.01.2001 के पत्रांक 1(2)/1997/डी(पेन–सी) के पैरा 6.6 के परिप्रेक्ष्य में विनियमित किये जाते है । इस आदेश के प्रभावी होने की वजह से वास्तविक भुगतान की प्रभावी तिथि दिनांक 24.06.2005 होगी।

उपरोक्तानुसार निवेदन है कि रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 24.06.2005 के पत्रांक 1(1)/2001/डी(पेन–सी) के अनुसार उन सभी प्रभावित मामलों में जहॉ विधवाओं का अभी भी उदारीकृत परिवार पेंशन चालू नहीं किया गया है, नया पेंशन भुगतान आदेश जारी करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ऐसे मामलें समीक्षा के उपरांत इस कार्यालय के जी–4 के प्रभारी अधिकारी को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ भेजे जाएंः–

- शीट पत्रक समर्थित प्रपत्र (अनुलग्नक अ के रूप में संलग्न) सहित कोर अंतिम वेतन प्रमाण पत्र सह डाटाशीट।
- उदारीकृत परिवार पेंशन की वापसी के लिए परिवार पेंशन संबंधी दावा ।
- अनुलग्नक 'ब' के अनुसार परिवार विवरण सहित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित बच्चा समर्थित /गैर समर्थित प्रमाण पत्र ।
- उदारीकृत परिवार पेंशन की वापसी हेतु विधवा द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र ।

- पेंशन संवितरण एजेंसी द्वारा जारी अंतिम पेंशन भुगतान प्रमाण पत्र जिसमें विधवा को भुगतान किया गया उदारीकृत परिवार पेंशन की अंतिम तिथि एवं उसके रोके जाने की तिथि का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो।
- विधवा की हाल में ली गई तस्वीर जो विधितः चिपकाया हुआ हो, युक्त वर्णनात्मक सूची।

(एस.के.सिंह)

अपर नियंत्रक (पेंशन)

सं. स्वी./तक./0114 /XXXVIII

दिनांक 18.03.2019

प्रतिलिपिः–

1. उप सचिव कार्मिक एवं लोक शिकायत व पेंशन (पेंशन व पेंशनर कल्याण विभाग) मंत्रालय, भारत सरकार, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।
2. निदेशक (पेंशन), रक्षा मंत्रालय भारत सरकार (पेंशन/ सेवाएं), सेना भवन, विंग– ए नई दिल्ली
3. सेना मुख्यालय, एडजुटेंट शाखा, पीएस–4 (ब) डी एच क्यू, पों. नई दिल्ली–11
4. सशत्र सेना मुख्यालय जीएस शाखा, पेंशन भुगतान व ए, डी एच क्यू, पों. नई दिल्ली–11
5. नौसेना मुख्यालय पेंशन भुगतान व ए, डीएचक्यू पोस्ट नई दिल्ली।
6. डीपीए वायु भवन, नई दिल्ली –11।
7. वायु सेना मुख्यालय, पता पीपी व पी–3, पश्चिमी खण्ड–6 आर के पुरम् , नई दिल्ली 66
8. वरिष्ठ रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (लेखा परीक्षा–2), कार्यालय र.ले.म.नि., उलन बटार रोड, पालम दिल्ली छावनी–10।
9. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (नौसेना) नं. 1 कुपरेज रोड मुम्बई –400039।
10. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (प.क.) चंडी मंदिर, चंडीगढ ।
11. रक्षा लेखा नियंत्रक (वा.से.) पश्चिमी खण्ड –5 आर.के.पुरम् नई दिल्ली –66
12. रक्षा लेखा नियंत्रक टेईनामपेट, चेन्नई ।
13. रक्षा लेखा नियंत्रक (पें. संवि.) आयुध पथ मेरठ छावनी।
14. रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक (वा.से.) सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली–10।
15. निदेशक लेखा परीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली।
16. समस्त अभिलेख कार्यालय/समस्त रेजीमेंट, कॉर्प्स।
17. नौसेना पेंशन कार्यालय, द्वारा आई.एन.एस. तानाजी, सायन ट्राम्बे रोड, मानखुर्द, मुम्बई–88
18. वायु सेना अभिलेख कार्यालय, धौला कुआं, दिल्ली छावनी।
19. निदेशक एम.पी.8 (आई ऑफ आर) समेकित मुख्यालय , रक्षा मंत्रालय (सेना) एडजुटेंट ब्रॉच, एम.पी./एम.पी.8(आई ऑफ आर) अपर महानिदेशक , पश्चिमी खण्ड –3 आर.के.पुरम्, नई दिल्ली–66
20. मुख्य कार्यालय के सभी अपर नियंत्रक/संयुक्त नियंत्रक।
21. मुख्य कार्यालय के सभी वर्गाधिकारी।
22. प्रभारी अधिकारी जी–1 सैन्य (तक.), लेखा परीक्षा– अन्य श्रेणी (तक.) व जी–1 सिविल(तक.) ।
23. स्वीकृति/अन्य श्रेणी परिसर के समस्त वरि.लेखाधिकारी /लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी
24. प्रभारी अधिकारी ई.डी.पी. मै.
25. प्रभारी अधिकारी ई.डी.पी. सेन्टर सॉफ्टवेयर के अशोधन हेतु।
26. प्रभारी अधिकारी पी.एच.पी सेल, ई.डी.पी. सेन्टर
27. प्रभारी अधिकारी संगणक केन्द्र को इस परिपत्र को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
28. प्रभारी अधिकारी जी–2 अनुभाग, जी–3 अनुभाग एवं जी–4 अनुभाग

29. प्रभारी अधिकारी सं.एवं प. अनुभाग
30. निदेशक रक्षा पेंशन प्रशिक्षण संस्थान इलाहाबाद।
31. प्रभारी अधिकारी कॉल सेन्टर।
32. प्रभारी अधिकारी शिकायत कक्ष।
33. रक्षा पेंशन लाइजन कक्ष।
34. प्रभारी अधिकारी स्वागती कक्ष स्थानीय।
35. अतिरिक्त प्रतियां ।

(ए.के.मालवीय)
वरि.लेखाधिकारी (पेंशन)

अनुलग्नक 'अ'

विधवा द्वारा पुनः विवाह कर लेने के कारण उदारीकृत परिवार पेंशन की वापसी एवं 1996 से पहले के अफसर श्रेणी से नीचे रैंक के कर्मचारियों का द्वितीयक लाइफ अवार्ड के पुनरीक्षण हेतु प्रपत्रः–

1. आर्मी संख्या
2. अंतिम धारित श्रेणी एवं ग्रुप
3. अफसर रैंक के नीचे के मृतक कर्मचारी का नाम
4. अभिलेख कार्यालय का नाम
5. प्रारम्भ में संस्वीकृत उदारीकृत परिवार पेंशन प्राप्त करने वाली विधवा /निमटतम संबंधी का नाम
6. पेंशन भुगतान आदेश संख्या एवं जारी किये जाने का वर्ष जिसके अधीन आरंभिक उदारीकृत परिवार पेंशन संस्वीकृत किया गया
7. विधवा के पुनर्विवाह की तिथि
8. पीपीओ सं. एवं वर्ष सहित पेंशन बंद किये जाने की तिथि
9. पहली शादी सेउत्पन्न बच्चों का विवरण
10. विधवा बच्चों की देखभाल कर रही है या नहीं
11. द्वितीयक लाइफ अवार्डी का नाम
12. मृतक अफसर रैंक से नीचे के कर्मचारी का द्वितीयक लाइफ अवार्ड प्राप्त करने वाले के साथ संबंध
13. पीपीओ सं. एवं वर्ष सहित द्वितीय लाइफ अवार्ड अधिसूचित किये जाने की तिथि
14. पेंशन संवितरण एजेंसी का नाम जहां से अंतिम बार उदारिकृत परिवार पेंशन आहरित किया गया
15. पेंशन भुगतान प्राधिकारी (बचत खाता सं. सहित भुगतान करने वाली बैंक शाखा/कोषागार/डीपीडीओ/वेतन लेखा कार्यालय एवं संपर्क शाखा) का नाम एवं पता
16. परिवार पेंशनर का पता

अभिलेख अधिकारी

अनुलग्नक 'ब'

1. नाम..........................श्रेणी............................. पूर्व संख्या .... के बच्चों का विवरण

बच्चे का नाम	लिंग(पु./म.)	जन्म तिथि	वैवाहिक विवरण/विवाह की तिथि	रोजगार **प्राप्ति** की तिथि	विकलांगता **की** स्थिति
i					
ii					
iii					

2. मृतक के माता–पिता का विवरण

माता पिता का नाम	जन्म तिथि	रोजगार की स्थिति	मृत्यु की तिथि	क्या दूसरा जीवनपर्यन्त अवाड **अथवा** विभाजित हिस्सा स्वीकृत किया गया है यदि हॉ तो कृपया पीपीओ सं. एवं हिस्सेदारी दर्शाएं

सर्मथक/गैर समर्थक संबंधी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरिलिखित सभी बच्चे 25 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेने/शादी /धनोपार्जन करने के कारण परिवार पेंशन हेतु अयोग्य हो गए है।

अथवा

प्रगाणित किया जाता है कि बच्चों (बच्चे) की देख–भाल उनकी माता श्रीमती........................ द्वारा की जा रही है।

अथवा

प्रमाणित किया जाता है कि बच्चा (बच्चे) की देख भाल उनके /उनकी दादा/दादी श्री/श्रीमती.......... .... की जा रही है।

अथवा

प्रमाणित किया जाता है कि बच्चा (बच्चे) नामतः 1..2... ....की देखभाल न तो **उनके**/उनकी मॉ और न हीं उनके/उनकी दादा/दादी द्वारा की जा रही है और वह/वे लोग अलग–अलग रह रहे हैं।

स्थानः

दिनांकः दावेदार के हस्ताक्षर

अनुप्रमाणनः ग्रम पंचायत/नगर निगम पार्षद/सक्षम अधिकारी